



राजस्थान सरकार
निदेशालय, महिला अधिकारिता
जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर



क्रमांक एफ 1(1)(46)/निमअ/स्था/गोपनीय/2009/20744

जयपुर, दिनांक 23.5.2022

आदेश

विभाग के पूर्व आदेश क्रमांक 509 दिनांक 11.04.2016 में संशोधन करते हुए निदेशालय महिला अधिकारिता के अधीन जिला स्तर पर कार्यरत समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशकों के वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन भरने के लिए निम्नानुसार चैनल निर्धारित किया जाता है:-

क्र. स.	पदनाम	प्रतिवेदक अधिकारी	समीक्षक अधिकारी	स्वीकारकर्ता अधिकारी
1.	उप निदेशक/सहायक निदेशक (जिला स्तर)	जिला कलक्टर	आयुक्त/निदेशक, महिला अधिकारिता	अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है। एसीआर चैनल दिनांक 01.04.2022 से प्रभावी होगा।

(रामावतार मीणा)
आयुक्त
महिला अधिकारिता

क्रमांक एफ 1(1)(46)/निमअ/स्था/गोपनीय/2009/20745-849 जयपुर, दिनांक 23.5.2022
प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
4. जिला कलक्टर, समस्त जिला।
5. अतिरिक्त निदेशक, म.अ., मुख्यालय।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त जिला।
7. उप निदेशक/सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, समस्त जिला।
8. प्रोग्रामर, महिला अधिकारिता विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
9. संस्थापन प्रकोष्ठ, गोपनीय प्रकोष्ठ, विभागीय जांच प्रकोष्ठ, लेखा प्रकोष्ठ, म.अ., मुख्यालय
10. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक, म.अ.